Legal Express: An International Journal of Law **ISSN 2394-465X**
Vol. VIII, Issue-I March 2022

कनाडियन संविधान का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. रमेश सिंह कुशवाह

परिचय

कनाडा उत्तरीय अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है। यह अट्लांटिक महासागर से प्रशान्त महासागर तक फैला हुआ है। यह कुल क्षेत्रफल व भूमि क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से विश्व का द्वितीय सबसे बड़ा देश है। कनाडा एक विकसित राष्ट्र है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय वैश्विक स्तर पर 10 वें स्थान पर है, जबकि मानव विकास सूचकांक में 9 वें स्थान पर है। यह ऑस्ट्रेलिया एवं भारत की तरह राष्ट्रमण्डल का सदस्य है। कनाडा शब्द की उत्पत्ति सेंट लॉरेंस इरोक्बायाई शब्द कनाटा से हुई है, जिसका अर्थ गाँव अथवा बसावट है। इसका उल्लेख सन् 1545 में यूरोपीय साहित्य और नक्शे से प्रारम्भ हुआ। यह एक मिश्रित नस्लवाला देश है। जो प्रथम राष्ट्र इनपुट और मेटीस आदिवासियों के यूरोप से आनेवाले लोंगो के साथ विवाह उपरांत 12 वीं शताब्दी के मध्य में तैयार हुई। न्यूफाउंडलैंड में सेंट जॉन उत्तरीय अमेरिका पर पहला अंग्रेजी उपनिवेश माना गया है। इसके अतिरिक्त कनाडा के क्षेत्र में इतालवी, पुर्तगाली और फ्रेंच लोगों ने भी अपने-अपने कब्जे जमाये। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के युद्ध पश्चात तथा सन् 1763 में पेरिस संधि पश्चात कनाडा के अधिकतर क्षेत्रों में अंगेजों का अधिकार हो गया।

1. कनाडा के संविधान को संशोधित करने का अधिकार ब्रिटिश संसद को ही था।
2. उपनिवेश की विधि पर ब्रिटिश अधिराष्ट्र का निषेधाधिकार बना रहा।
3. अंतिम अपीलें प्रिवी कौंसिल में ही जाती रहीं।
4. कनाडा के गवर्नर-जनरल की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटिश अधिराष्ट्र को ही रहा।

प्रायः प्रत्येक संविधान अपने कुछ अभिसमय, रूढ़ियाँ या परम्पराऐं विकसित कर लेता है। कनाडा के संविधान की भी कुछ अलिखित परम्पराऐं है जिससे वहां की शासन प्रणाली संचालित होती है जैसे किसी समय कनाडियन शासन का सर्वेसर्वा अब परम्परानुसार मात्र संवैधानिक प्रमुख बनकर रह गया है। परम्परा से अब कनाडियन मंत्रिमण्डल वहां की संसदीय प्रणाली की धुरी है। अब ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली के सारे ही अभिसमय कनाडियन संविधान में भी मान्य है।

कनाडा के संविधान का प्रमुख स्रोत ब्रिटिश संसद द्वारा पारित विभिन्न अधिनियम है। सन् 1867 का ब्रिटिश अधिनियम कनाडियन राज्य व्यवस्था का आधार है। इसे ही कनाडा का लिखित संविधान कहा जा सकता है। इसमें कनाडा की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और संघात्मक स्वरूप और संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान है। समय-समय पर इसमें कई संशोधन भी हुए।

इस संविधि में ब्रिटेन की समस्त परम्पराओं को प्राधिकारित रूप से अभिलिखित और अधिनियमित किया गया। तत्पश्चात् कनाडियन संविधान को डॉमिनियन स्वराज्य मिला। सन् 1950 में कनाडा ने एक घोषणा द्वारा डॉमिनियन शब्द का त्याग करके स्वयं को गणराज्य घोषित किया।

कनाडा के संविधान का प्राधिकारित स्रोत वहां की व्यवस्थापिकाओं द्वारा पारित अधिनियम है। वहां की केन्द्रीय व्यवस्थापिका ने संघीय सरकार और प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं ने प्रान्तीय सरकारों को प्रभावी किया।

कनाडा का संविधान एक संघात्मक संविधान है और इसकी शासन प्रणाली संसदीय है। नागरिकों के लिए मूल अधिकार घोषित हैं और स्वतंत्र न्यायपालिका भी है।

लिखित संविधान

ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, 1867 ही कनाडा के संविधान का आधार है। इसलिए कनाडियन संविधान को एक लिखित संविधान कहा जा सकता है किन्तु ध्यान रहे ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, 1867 अकेला कनाडा संविधान नहीं है अपितु यह अनेक तत्वों का योग है।

प्रो. डाइसन के अनुसार, कनाडा का संविधान जैसा कि कुछ लोग सोचते है ब्रिटिश नार्थ अमेरिका अधिनियम, 1867 और उसके संशोधनों से युक्त तीस पृष्ठों तक सीमित नहीं है अपितु उसके कुछ अन्य तत्वों ने भी गति प्रदान की है। ब्रिटिश कन्वेंशन, कनाडा के संसद के विभिन्न अधिनियमों और कनाडियन सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने भी कनाडियन संविधान के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया।

संसदीय शासन प्रणाली

कनाडा का संविधान ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की ही अनुकृति है। कनाडा की संसद भी द्विसदनात्मक है। अमेरिका के समान उच्च सदन सीनेट और निम्न सदन प्रतिनिधि सभा है। अभिसमय का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व रहता है।

लोकतांत्रिक गणराज्य

कनाडा लोकतांत्रिक देश है। इसकी प्रतिनिधि संस्थाऐं निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है। सन् 1950 की घोषणा के पूर्व कनाडा डॉमिनियन उपनिवेश या सन् 1950 में इसने अपने को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर लिया।

संवैधानिक प्रमुख- कनाडा की संवैधानिक व्यवस्था में गवर्नर जनरल पूर्व में वास्तविक प्रमुख था किन्तु सन् 1931 के स्टैट्यूट ऑफ वेस्ट मिनिस्टर के बाद कन्वेंशन के अनुसार केवल संवैधानिक प्रमुख रह गया और वास्तविक सत्ता गवर्नर जनरल के हाथ में आ गई। लैटर्स पेटेन्ट द्वारा भी उसकी शक्तियां सीमित कर दी गई है। विधितः गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश अधिराष्ट्र द्वारा होती है किन्तु व्यवहार में कनाडा के मंत्रिमण्डल के परामर्श से ही की जाती है।

नागरिक अधिकार

कनाडा के संविधान द्वारा नागरिक अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। यद्यपि संविधान में नागरिक अधिकारों के उपबंधों का कोई पृथक अध्याय नहीं है किन्तु संविधान में अलग-अलग स्थानों पर नागरिकों को अनेक स्वतंत्रताऐं दी गई है। जैसे वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता उपासना की स्वतंत्रता आदि।

संशोधन की परिपाटी

कनाडा के संविधान में संशोधन ब्रिटिश संसद द्वारा कनाडा की संसद की स्वीकृति से ही किया जा सकता है। यद्यपि वर्तमान में कनाडा एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है। अब ब्रिटिश संसद के कनाडा के संविधान को संशोधित करने की शक्ति समाप्त करने की भावना विकसित हो रही है।

विधिशासन

ब्रिटेन के समान कनाडा की विधि व्यवस्था में भी विधिशासन का सिद्वान्त प्रचलित है। इसका अर्थ यह है कि विधि सर्वोपरि है न कि व्यक्ति। विधि की दृष्टि में प्रधानमंत्री से लेकर एक सिपाही तक सभी समान है। दण्ड विधि के अनुसार ही दिया जाएगा। संवैधानिक संस्थाऐं भी विधि के अनुसार चलेगी।

प्रिवी कौंसिल

ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, 1867 में ब्रिटिश अभिसमय का अनुगमन करते हुए एक प्रिवी कौंसिल का प्रावधान है जो अन्य किसी राष्ट्रमण्डलीय देश में नहीं है। इसमें गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त 90 सदस्य होते है। इनका कार्यकाल आजीवन रहता है। इसके कार्यों का संपादन कनाडियन मंत्रिमण्डल द्वारा किया जाता है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता

संघात्मक संविधान के आधारभूत भाग के रूप में कनाडा में स्वतंत्र न्यायालय है। कनाडा की सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और आठ न्यूनतम न्यायाधीश है किन्तु कनाडा की सर्वोच्च न्यायालय को संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत की तरह कनाडा सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन नही कर सकता।

राष्ट्रमण्डलीय सदस्यता

कनाडा में संप्रभु की सत्ता सैद्धान्तिक रूप से आज भी राष्ट्रमण्डल का सदस्य है। पहले कनाडा ब्रिटेन का एक उपनिवेश था जो कालांतर में धीरे-धीरे ब्रिटेन के नियंत्रण से मुक्त हुआ। वह विधिक दृष्टि से कनाडा स्वतंत्र और संप्रभु उपनिवेश है।

संदर्भ-

1. डॉ. पी. के. त्रिपाठी, भारतीय संविधान के प्रमुख तत्व।
2. डी. डी. बसु, भारत का संविधान।
3. प्रो. प्रियदर्शी, कनाडा का संविधान।